फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बेणीराम पिता प्रथा गाडरी

बनाम

सरकार जरिये तहसीदार, भूपालसागर

प्रकरण संख्या 24/2018 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट आज भी अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली दिनांक 14.07.2021 से बहस की स्टेज पर लम्बित चल रही है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण में न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता अपीलांट दिनांक 26.11.2021 से उक्त प्रकरण में अनुपस्थित चल रहे हैं अधिवक्ता अपीलांट को दिनांक 04.08.2022 को भी अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर पत्रावली खारिज करने की कार्यवाही की जावेगी फिर भी अधिवक्ता अपीलांट आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	